Spread of epidemics in Madhya Pradesh

322. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that killer epid emics are rampant in several Madhya Pradesh Districts as reported in Times of India of 8th August 1991;

(b) if so, what are the details thereof and corrective steps taken or proposed by Government; and

(c) what is the position of similar epid emics in other States in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SMT. D. K. THARADEVI SIDDHARTHA): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

ग्रामीण मजदूरों को ऋण-माफी योजना के दायरे में लाया जाना

323. **श्री आनन्द प्रकाश गौतम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण मजदूरों को भी 10,000/- रुपए तक के सरकारी ऋणों की माफी के दायरे में रखा है क्योंकि वे किसानों की तुलना में गरीब, असहाय और साधन विहीन हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार ऐसे ऋणग्रस्त व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी थी जो, किसान और कारीगर को छोड़कर, ग्रामीण मजदूर की श्रेणी में आते हैं और उन पर ऋण की कितनी राशि बकाया थी ;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनसे नोटिस देकर या बिना नोटिस दिए ऋणों की वसूली की गई थी ;

(घ) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनकी सम्पत्ति ऋण अदा न किए जाने पर कुर्क की गई थी ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "हां" हो, तो ऐसे व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है और इस योजना के अंतर्गत ऋण माफी की राशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अंतर्गत माफ किए गए ऋण से है । इस योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से किसानों, बुनकरों, कारीगरों तथा भूमिहीन मजदूरों जिन्होंने कृषि के किसी कार्यकलाप अथवा कारीगरी के किसी कार्य के लिए ऋण लिया है, को इस योजना के अंतर्गत ऋण की राहत दी जाती है । ग्रामीण मजदूर, जो उपायुक्त दी गई श्रेणी के अंतर्गत आता है, इस योजना के अंतर्गत राहत का पात्र हैं ।

(ख) से (घ) जैसाकि उपयुक्त (क) में स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण मजदूर, दर्शाई गई सीमा तक योजना के अंतर्गत आते हैं । आंकड़ा सूचना प्रणाली, पूछे गए ढंग से सूचना नहीं देती है । फिर भी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सहकारी बैंकों द्वारा वर्ष 1990–91 के दौरान वसूल की गई राशि 2585 करोड़ रुपए थी ।

(ङ) उपलब्ध कराई गई राहत के अलग से श्रेणीवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि सूचना प्रणाली से इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं होती है । फिर भी, 29 जुलाई, 1991 के अनुसार इस योजना के अंतर्गत, किसानों, कारीगरों बुनकरों तथा भमिहीन कृषि मजदूरों के संबंध में हिताधिकारियों की राज्य-वार संख्या तथा इस योजना के अंतर्गत माफ की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

कृषि तथा ग्रामीण श्रम राहत योजना 1990 के अन्तर्गत, राज्य-वार, उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें राहत प्रदान की गयी तथा उसमें अन्तर्ग्रस्त राशि

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राहत दिए गए व्यक्तियों की संख्या	राशि (लाख रु.)
आन्ध्र प्रदेश	29,51,666	88255
अरुणांचल प्रदेश	12,157	216
असम	5,08,442	11863
बिहार	37,31,001	82368
गोवा	19,101	437
गुजरात	13,52,728	49942
हरियाणा	5,99,086	23371
हिमाचल प्रदेश	2,77,942	5571
जम्मू और कश्मीर	33,811	824
कर्णाटक	15,92,305	49425
केरल	8,45,101	16061
मध्य प्रदेश	19,14,150	46338
महाराष्ट्र	28,78,001	77208
मणिपुर	79,019	1310
मेघालय	71,652	1676
मिजोरम	6,396	265
नागालैण्ड	50,101	949
उड़ीसा	21,60,832	38576
पंजाब	4,63,699	19727
राजस्थान	19,17,714	53088
सिक्किम	9,394	268
तमिलनाडु	19,71,771	53194
त्रिपुरा	1,49,479	2445
उत्तर प्रदेश	51,63,306	104653
पश्चिमी बंगाल	15,03,896	26270
चण्डीगढ़	3,363	111
दादरा और नागर हवेली	2,798	33
दमन व दीव	1,115	14
दिल्ली	11,117	456
लक्षद्वीप	91	3
पाण्डिचेरी	41,643	1065
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4,847	106
जोड़	3,03,28,624	756088